उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं0–09/2017–18

यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी0एस0सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच, बोकारो

बनाम्

मेसर्स तिरूपति ट्रेडर्स

–: आदेश :–

21.07.2018

प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी0एस0सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच, बालीडीह, बोकारो, द्वारा धारा 14 (**1 and 2**) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत मेसर्स तिरूपति ट्रेडर्स, प्रो0 रामेश्वर मिश्रा, पिता–श्री बैजनाथ मिश्रा, त्रिपाठी पेट्रोल पम्प के विपरीत, जैनामोड़, बोकारो के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षो को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी0एस0सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच, बालीडीह, बोकारो, की ओर से मुख्य प्रबंधक द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (सा0–तांतरी, मौजा बांधडीह, थाना–जरीडीह जिला बोकारो के अंतगर्त खाता सं0–146 तौजी सं0–28 खेवट सं0–1 प्लॉट सं0–1647 रकवा–04 डी0) को गिरवी रखते हुए 13,80,000.00 (तेरह लाख अस्सी हजार) रूपये मात्र का बैंक से ऋृण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋृण की वापसी में अनियमितता बरती गई है। ऋणकर्त्ता का खाता दिनांक–30.06.2016 को ही एन0पी0ए0 हो गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT–2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा ऋण की राशि को भुगतान के लिए सिर्फ समय की माँग की गई।

दोनो पक्षों की दलील, अभिलेख एवं उसमें संधारित कागजातों से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई

पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई ठोस आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT–2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी0एस0सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच, बालीडीह, बोकारो, द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि–व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमों (तेनुघाट) आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें ।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

21.07.18
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.28 17:10:58 +05:30
Location: 192.168.1.103